संख्या- 51/2026/1004/2026-001-27-10002(099)/5/2023-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 25 मई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुन:निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-1013/03-91/1750 असफल नलकूप निर्माण परि. (नो.पो.)/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 23.04.2026 एवं पत्रांक-1379/03-91/1750 असफल नलकूप निर्माण परि. (नो.पो.)/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 20.05.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुन:निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक 4702-102-03-0303-24 ''1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुन:निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित)'' में प्राविधानित धनराशि रू0 36120.89 लाख में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 3,37,98,00,000/- (रूपये तीन अरब सैंतीस करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0/ दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a)/गठित अनुबंध की लागत (b)	अनुबंधित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत (7-9)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में	
										अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुन:निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित)	94-4702-102-03-0303-24	36120.89	02/2026/2068/2025-001-27-10002(099)/5/2023-10, दिनांक 20.01.2026	56120.69 (a)/ 0.00 (b)	56120.69	0.00	5486.16 / 5486.05	50634.64	94-4702-102-03-0303-24	33798.00

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध -

(1) प्रश्नगत परियोजना/मद में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-02/2026/2068/2025-001-27-10002(099)/5/2023-10, दिनांक 20.01.2026 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 यथासंशोधित शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त शासनादेश दिनांक 17.05.2023 यथासंशोधित दिनांक 19.05.2023 के आलोक में प्रश्नगत परियोजना की अनुवर्ती किश्त की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव परियोजना के अनुबन्ध के गठन की कार्यवाही के उपरान्त ही शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,37,98,00,000 (रुपये तीन अरब सैंतीस करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001020303 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुन:निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या-51 /2026/1004(1)/2026-001-27-10002(099)/5/2023-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) संबंधित समस्त मुख्य अभियन्तागण (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, **द्वारा**- प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) नोडल अधिकारी/अनु सचिव, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।